प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 26 अगस्त, 2020

विषय: कै0 सुधीर कुमार की 03 दिवसीय Annual Ground Refresher Training दिनांक 06 जुलाई, 2020 से 08 जुलाई, 2020 तक नई दिल्ली में कै0 संदीप बंसल, डी0जी0सी0ए0 अप्रूव्ड एक्जामिनर के साथ कराए जाने हेतु कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 191/ना0उ0नि0/आप्स-एस0के0/2020, दिनांक 05 अगस्त, 2020 में अवगत कराया गया है कि कै0 संदीप बंसल, डी0जी0सी0ए0 अप्रूव्ड एक्जामिनर द्वारा कै0 सुधीर कुमार की 03 दिवसीय Annual Ground Refresher Training दिनांक 06 जुलाई, 2020 से 08 जुलाई, 2020 तक की तिथियों में नई दिल्ली में पूर्ण करा ली गई है, जिस हेतु ट्रेनिंग फीस रू0 1,77,000/- (रूपए एक लाख सतहत्तर हजार मात्र) का भुगतान किया जाना है तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य यात्रा भत्तों के अनुसार कै0 सुधीर कुमार द्वारा उपरोक्त ट्रेनिंग हेतु स्वयं की कार से नई दिल्ली जाने तथा वापस आने हेतु टी0ए0 बिल रू0 6,775/- (रूपए छः हजार सात सौ पचहत्तर मात्र) तथा अनुमन्य डी0ए0 के अनुसार रू0 3,720/- (रूपए तीन हजार सात सौ बीस मात्र) अर्थात् प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त कुलरू0 1,87,495/- (रूपए एक लाख सत्तासी हजार चार सौ पन्चानबे मात्र) का भुगतान किए जाने की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी जानी है। अतः श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2020-21 में कै0 सुधीर कुमार द्वारा कै0 संदीप बंसल, डी0जी0सी0ए0 अप्रूव्ड एक्जामिनर के साथ दिनांक 06 जुलाई, 2020 से 08 जुलाई, 2020 तक की तिथियों में नई दिल्ली की गई 03 दिवसीय Annual Ground Refresher Training हेतु ट्रेनिंग फीस के रूप में रू0 1,77,000/- (रूपए एक लाख सतहत्तर हजार मात्र) तथा प्रश्नगत ट्रेनिंग हेतु स्वयं की कार से नई दिल्ली जाने तथा वापस आने हेतु अनुमन्य भत्तों के अनुसार टी0ए0 बिल रू0 6,775/- (रूपए छः हजार सात सौ पचहत्तर मात्र) तथा अनुमन्य डी0ए0 के अनुसार रू0 3,720/- (रूपए तीन हजार सात सौ बीस मात्र) अर्थात् प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त कुल रू0 1,87,495/- (रूपए एक लाख सत्तासी हजार चार सौ पन्चानबे मात्र) का भुगतान किए जाने की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2) उक्त प्रशिक्षण का परिणाम लाइसेन्स पर पृष्ठांकनोपरान्त लाइसेन्स की प्रति और अन्य सम्बन्धित अभिलेख पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित करने/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत राजस्व लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : ई-7- 821/दस-2020 दिनांक: 25 अगस्त, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सुरेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-53/2020/1372(1)/छप्पन-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य), अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित पायलट।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in